

प्रेषक,

श्रम आयुक्त
हरियाणा, चंडीगढ़।

सेवा में,

सभी सहायक श्रम आयुक्त,

श्रम विभाग,

हरियाणा

क्रमांक:

दिनांक:

विषय : मोटर ट्रांसपोर्ट अधिनियम, 1961 के तहत मोटर परिवहन उपक्रम पंजीकरण करवाने वारे

उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित किया जाता है कि यह देखने में आया है कि हरियाणा राज्य में मोटर परिवहन उपक्रम जो, कि मोटर ट्रांसपोर्ट अधिनियम के तहत पंजीकृत करवाना अनिवार्य है, और उन्होंने पंजीकरण नहीं करवाया है। आपके अधिनस्थ कार्यशोत्र में आने वाले उपक्रमों की सूचि मुख्यालय को भिजवाए तथा उनको पंजीकरण करवाने वारे प्रोत्साहित करते हुए विभागीय पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना सुनिश्चित करें व दिन प्रतिदिन की प्रगति रिपोर्ट का भेजा जाना भी आवश्यक है। इसे अति आवश्यक समझा जाए।

—८३—
कृते: श्रम आयुक्त,
हरियाणा, चंडीगढ़

क्रमांक: २७१५९०

दिनांक: ३-८-१८

इसकी एक प्रति सभी उप श्रम आयुक्तों को भेजते हुए निर्देश दिए जाते हैं कि उन्हें वारे परिपालना करवाना सुनिश्चित करें।

कृते: 
श्रम आयुक्त,
हरियाणा, चंडीगढ़
४

प्रेषक,

श्रम आयुक्त
हरियाणा, चंडीगढ़ ।

सेवा में,

✓ सभी सहायक श्रम आयुक्त,
श्रम विभाग,
हरियाणा

क्रमांक: १-८१२१-४३

दिनांक: ५-८-१२

विषय: मोटर ट्रांसपोर्ट अधिनियम, 1961 के तहत मोटर परिवहन उपक्रम पंजीकरण करवाने
बारे

उपरोक्त विषय के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि यह देखने में आया है कि
हरियाणा राज्य में मोटर परिवहन उपक्रम जो, कि मोटर ट्रांसपोर्ट अधिनियम के तहत पंजीकृत
करवाना अनिवार्य है, और उन्होंने पंजीकरण नहीं करवाया है। आपके अधिनस्थ कार्यशोत्र में आने
वाले उपक्रमों की सूचि मुख्यालय को भिजवाए तथा उनको पंजीकरण करवाने बारे प्रोत्साहित करते
हुए विभागीय पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना सुनिश्चित करें व दिन प्रतिदिन की प्रगति रिपोर्ट का
भेजा जाना भी आवश्यक है। इसे अति आवश्यक समझा जाए।

कृते: 
श्रम आयुक्त,
हरियाणा, चंडीगढ़
५-८-१२

क्रमांक:

दिनांक:

इसकी एक प्रति सभी उप श्रम आयुक्तों को भेजते हुए निर्देश दिए जाते हैं कि उन्हें
बारे परिपालना करवाना सुनिश्चित करें।

कृते: 
श्रम आयुक्त,
हरियाणा, चंडीगढ़